

## “खिलौना बैंक” तथा “बुक बैंक” स्थापना हेतु विस्तृत दिशा निर्देश

प्रथम चरण (10 दिवसीय गहन अभियान)

### 1. उद्देश्य :-

- (i) समाज के वंचित/अल्प सुविधाप्राप्त बच्चों को जनसहभागिता से खिलौने/पुस्तकें उपलब्ध करवाकर उन्हें “बचपन का अधिकार” दिलाना।
- (ii) खिलौनों/पुस्तकों के माध्यम से बच्चों का शारीरिक विकास के साथ साथ मानसिक, बौद्धिक और मनोवेज्ञानिक विकास सुनिश्चित करना।
- (iii) स्कूली शिक्षा से पहले बच्चों के समानता के अधिकार को सुनिश्चित करना
- (iv) सरकारी शिक्षण संस्थाओं एवं आंगनबाड़ी केन्द्रों का सुदृढीकरण।

### 2. लक्षित वर्ग:-

- (i) “खिलौना बैंक” की स्थापना आंगनबाड़ी केन्द्रों पर होनी है जिसमें आंगनबाड़ी केन्द्र आकर्षक बनेंगे तथा उनमें 3-6 वर्ष आयुवर्ग के बच्चों के नामांकन में वृद्धि तथा ठहराव में सहयोग मिलेगा। प्रत्येक AWC पर 20 खिलौनों का संग्रहण का लक्ष्य होना।
- (ii) “बुक बैंक” की स्थापना आंगनबाड़ी केन्द्रों तथा सरकारी स्कूलों में की जानी है जिससे बच्चों के बौद्धिक विकास में सहयोग मिलेगा।

### 3. हिस्सेदार (Stakeholders):- इस पुनीत अभियान में समाज के सम्पन्न वर्ग को हिस्सेदारी निभानी है। जैसे :-

- (i) जनप्रतिनिधियों जैसे प्रधान, सरपंचों के संघ
- (ii) प्रतिष्ठित स्वयं सेवी संस्थाएँ (NGOs)
- (iii) प्रतिष्ठित क्लब जैसे रोटरी, लॉयन्स क्लब, बार कोंसिल, प्रेस आदि
- (iv) उद्योगपति व व्यापारी वर्ग
- (v) सरकारी /निजी विद्यालय
- (vi) सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों के संघ

उक्त हिस्सेदारों के सहयोग से नये या पुराने खिलौने तथा पुस्तकें एकत्र की जानी है, जो बच्चों के लिए उपयोगी व लाभदायक हो। खिलौने टूटे फूटे नहीं हों और किसी प्रकार से बच्चों के लिए हानिकारक (जैसे नुकीले, अत्यधिक छोटे जो बच्चों द्वारा निगले जा सकें) नहीं हों।

4. दान प्रक्रिया :- “टॉय बैंक” में खिलौनों का तथा “बुक बैंक” में पुस्तकों का दान व्यक्तिगत हैसियत से भी किया जा सकता है और एसोशिएसन के द्वारा भी किया जा सकता है। प्रत्येक दानदाता को जमा करवाये गए खिलौनों तथा पुस्तकों की रसीद भी दी जावेगी।
5. संग्रहण विधि :- खिलौनों तथा पुस्तकों के संग्रहण हेतु जिला स्तर तथा ब्लॉक स्तर पर संग्रहण केन्द्र स्थापित किए गए हैं। यदि कोई दानदाता 100 से अधिक खिलौने या पुस्तकें दान करता है तो उसके निवास स्थल/कार्यालय से भी सामग्री संग्रहण की व्यवस्था है।
6. संग्रहण केन्द्र :- खिलौनों तथा पुस्तकों के संग्रहण हेतु निम्नानुसार संग्रहण केन्द्र स्थापित किए गए हैं।

(A) जिला स्तर पर

क्र.स	संग्रहण केन्द्र का नाम	नोडल अधिकारी का नाम, पद, मोबाईल नं.
1	लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक सामुदायिक केन्द्र वरुप पथ, मानसरोवर जोन	
2	अम्बाबाडी सामुदायिक केन्द्र, अम्बाबाडी सर्किल, विद्याधर नगर जोन	
3	महेश नगर सामुदायिक केन्द्र, महेश नगर, सिविल लाईन जोन	
4	अम्बेडकर मंगल भवन सामुदायिक केन्द्र, सांगानेर जोन	
5	तिलक नगर सामुदायिक केन्द्र उदय मार्ग, मोतीडूंगरी जोन	

(B) ब्लॉक स्तर पर (शहर/ग्रामीण)

क्र.स	सग्रहण केन्द्र का नाम	नोडल अधिकारी का नाम, पद, मोबाईल नं.
1	सीडीपीओ जयपुर-प्रथम	श्रीमती दमयन्ती शर्मा, सीडीपीओ, मो. 9314323482
2	सीडीपीओ जयपुर-द्वितीय	श्री हनुमान प्रसाद गौतम, सीडीपीओ, 9413103575
3	सीडीपीओ जयपुर-तृतीय	श्रीमती उषा यादव, सीडीपीओ, 7597784638
4	सीडीपीओ जयपुर-चतुर्थ	श्रीमती प्रियंका लकवाल, सीडीपीओ, 7733843870
5	सीडीपीओ सांगानेर शहर	श्रीमती उषा शर्मा, सीडीपीओ, 9602645555
6	सीडीपीओ आमेर	श्रीमती सरला यादव, सीडीपीओ, 9799322436
7	सीडीपीओ बैराठ	श्री तेजप्रकाश, सीडीपीओ, 9413205326
8	सीडीपीओ बस्सी	श्रीमती दुर्गा जीगर, सीडीपीओ, 9828011123
9	सीडीपीओ चाकसू	श्रीमती मंजू चौहान, सीडीपीओ, 9828111616
10	सीडीपीओ दूदू प्रथम	श्रीमती शिल्पी मीणा, सीडीपीओ, 7597493331
11	सीडीपीओ दूदू द्वितीय मौजमाबाद	श्रीमती शिल्पी मीणा, सीडीपीओ, 7597493331
12	सीडीपीओ गोबिन्दगढ प्रथम	श्रीमती सरोज रोहिला, सीडीपीओ, 9929785996
13	सीडीपीओ गोबिन्दगढ द्वितीय	सुश्री लवलीन शर्मा , सीडीपीओ, 9468865991
14	सीडीपीओ ज0रामगढ	श्रीमती सरोज चतुर्वेदी, सीडीपीओ, 7597732760
15	सीडीपीओ झोटवाडा	श्रीमती जयश्री सुरा, सीडीपीओ, 8003623228
16	सीडीपीओ, कोटपूतली	श्रीमती शान्ति छापरवाल, सीडीपीओ, 9929025632
17	सीडीपीओ, फागी	श्रीमती दमयन्ती शर्मा, सीडीपीओ, 9314323482
18	सीडीपीओ, सांभर	श्रीमती नीरू सांखला, सीडीपीओ, 8559860556
19	सीडीपीओ, सांगानेर ग्रामीण	श्रीमती मंजू चौहान, सीडीपीओ, 9828111616
20	सीडीपीओ, शाहपुरा	श्री तेजप्रकाश शर्मा, सीडीपीओ, 9413205326

7. संग्रहण समय :-संग्रहण केन्द्रों पर दिनांक 29.6.2016 से 5.7.2016 तक प्रातः 11.00 बजे से दोपहर बाद 2.00 बजे तक खिलौनों/ पुस्तकों का संग्रहण किया जा सकेगा।
8. प्रचार प्रसार :- इस अभियान के प्रचार-प्रसार हेतु सभी संभव साधनों/विधियों का उपयोग किया जाना है।
- (i) आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका तथा आशा सहयोगिकी द्वारा घर-घर सहयोग प्रचार- प्रसार किया जाना है।
- (ii) एफ.एम चैनल्स द्वारा प्रचार-प्रसार
- (iii) पम्पलेट्स द्वारा प्रचार-प्रसार
- (iv) जिला कलेक्टर महोदय द्वारा आमजन तथा सभी संगठनों को संबोधित अपील के माध्यम से।
- (v) फेसबुक पर दो पेज बनाए गए हैं (i) Toy Bank Jaipur तथा (ii) Book bank Jaipur इन पेजेज को इस अभियान के समस्त साझेदार लिंक कर इसका प्रचार-प्रसार कर सकते हैं।
- (vi) स्कूलों में बालसभा तथा SDMC/SMC के माध्यम से प्रचार-प्रसार
- (vii) उपखण्ड अधिकारियों/विकास अधिकारियों के स्तर पर मीटिंग्स/ कार्यक्रम इत्यादि।

### द्वितीय चरण:-

गहन अभियान के पश्चात एक सतत प्रक्रिया के रूप में "टॉय बैंक" तथा "बुक बैंक" को स्थायित्व प्रदान करने के लिए इनके स्थायी संग्रहण केन्द्र सीडीपीओ कार्यालय संबंधित ब्लॉक के रहेंगे और संग्रहण समय 11.00 से 2.00 बजे रहेगा।

### **नोडल अधिकारी (खिलौनों हेतु)**

- (i) उप निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग – जिला स्तर पर
- (ii) सीडीपीओ – ब्लॉक स्तर पर

### **नोडल अधिकारी (किताबों हेतु)**

- (i) जिला शिक्षा अधिकारी – जिला स्तर पर
- (ii) ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी – ब्लॉक स्तर पर